



के.मा.शि.बो./शैक्षणिक/सं.स. (ए आर टी एंड आई)/ओ टी बी ए/ 2017 दिनांक 1 फरवरी, 2017

अधिसूचना

के.मा.शि.बो. द्वारा मुक्त पाठ्य आधारित मूल्यांकन (ओ.टी.बी.ए) का प्रारंभ कक्षा IX में (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाजिक विज्ञान विषयों में) और कक्षा XI की मुख्य परीक्षा में (अर्थशास्त्र, जीवविज्ञान और भूगोल में) मार्च 2014 से प्रारंभ किया गया।

ओ.टी.बी.ए के वांछित उद्देश्यों की आंशिक प्राप्ति और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, बोर्ड ने शासी निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद, ओ.टी.बी.ए को कक्षा IX और कक्षा XI में अध्ययन योजना में से सत्र 2017-18 से वापस लेने का निर्णय किया है। बोर्ड के निर्णय को सभी संबंधितों द्वारा कार्रवाई हेतु नोट किया जा सकता है।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शै. अ. प्र. एवं न.)

प्रतिलिपि: संबंधित निदेशालयों / केवीएस / एनवीएस / सीटीएसए के सभी प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित विद्यालयों को जानकारी का प्रसार करने हेतु:

1. आयुक्त, केवीएस, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, एनवीएस, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली
4. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ 160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई, सीबीएसई सेल, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पी.ओ- 744 103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह





9. सचिव, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली।
10. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली।
11. सचिव आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 22, शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैंट
12. अवर सचिव, (ई ई -1), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें।
14. सभी अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक के.मा.शि.बो, व्यावसायिक प्रकोष्ठ
15. सूचना-प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को के.मा.शि.बो की वेबसाइट पर डाल दें।
16. शैक्षणिक यूनिट के सभी संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों, सहायक निदेशकों को आगे की समुचित अपेक्षित कार्रवाई हेतु
17. पुस्तकालय सहायक, के.मा.शि.बो
18. जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो
19. हिंदी अधिकारी, केमाशिबो
20. अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी, केमाशिबो
21. सचिव के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
22. परीक्षा नियंत्रक के व. निजी सचिव, केमाशिबो को आगे की समुचित कार्रवाई हेतु
23. निदेशक (विशेष परीक्षा और सीटीईटी) , केमाशिबो के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
24. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं एड्यूसेट) के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
25. निदेशक (नेट) के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
26. कार्यकारी निदेशक (जेएबी) के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
27. विशेष कार्य अधिकारी (एनईईटी) के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.

